http://abcaus.in

कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1819012 दिनांक 24.05.2018

पत्र सं0- ज्वा0कमि0/ मु0 / स0प0/वि0अनु0शा0 कार्य प्रणाली/2018-19/ /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर, उ0 प्र0 ।

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक: 24 मई ,2018

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2/

ज्वाइण्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर /

असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण से सम्बन्धित वि0अनु0शा0 इकाइयों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (जिसे आगे अधिनियम 2017 कहा जायेगा) की धारा–67 के अन्तर्गत किसी कराधेय व्यक्ति अथवा माल के परिवहन के कारोबार में लगे व्यक्ति अथवा किसी भण्डागार या गोदाम के स्वामी अथवा संचालक के व्यापार स्थल अथवा किसी अन्य स्थान के निरीक्षण एवं कतिपय परिस्थितियों में तलाशी/अभिग्रहण के विस्तृत प्राविधान किये गये हैं, जिन्हें इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/स0प0/17–18/1442/वाणिज्य कर दिनांक 30.08.2017 द्वारा परिपत्रित किया गया है, किन्तु फील्ड स्तर से उक्त प्राविधानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लगातार जिज्ञासायें प्राप्त हो रही हैं तथा मुख्यालय स्तर से भी अनुश्रवण के दौरान लगातार यह महसूस किया जा रहा है कि वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा जॉच के पूर्व पर्याप्त सूचना संकलन नहीं किया जाता है एवं पूर्ण तैयारी नहीं की जाती है। जॉच हेतु व्यापारी का चयन भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं किया जाता है। अतः वि0अनु0शा0 इकाइयों की कार्यप्रणाली को और प्रभावपरक बनाने तथा उनमें एकरूपता लाने की दृष्टि से निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं:–

विशेष अनुसन्धान शाखा जॉच के पूर्व की प्रक्रिया

1. अधिनियम की धारा–67 के प्राविधानों के अनुसार कोई भी जॉच ज्वाइण्ट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के अधिकारी के निर्णय पर ही की जानी अपेक्षित है एवं जॉच कार्य उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात डिप्टी कमिश्नर द्वारा जॉच से पूर्व अभिसूचना संकलन का कार्य किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में उनके द्वारा इकाई में कार्यरत् असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी का सहयोग लिया जाएगा। अभिसूचना संकलन में सम्बन्धित व्यापारी की ऑन–लाइन एवं तथ्यात्मक जानकारी अन्य विभागों जैसे–आयकर, श्रम, बैंक सम्व्यवहार, विद्युत, फूड एवं ड्रग्स तथा खनन आदि से संकलित करते हुये सम्बन्धित व्यापारी की प्रोफाइल तैयार की जाएगी। जिस व्यापारी की जॉच किया जाना आवश्यक है, उसके द्वारा जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, उन वस्तुओं के सम्बन्ध में विभिन्न ट्रेड जरनल्स, मैगज़ीन्स, टी0वी0, रेडियो, न्यूज़ पेपर्स आदि से सूचना संकलित कर व्यापारी की प्रोफाइल से उसका मिलान किया जा सकता है। व्यापारी के कम्पटीटर, बिज़नेस राइवल्स, उनसे असन्तुष्ट कर्मचारी, एजेण्ट, उनके सप्लायर्स, ट्रान्सपोर्टर्स एवं किन्हीं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से भी सूचना एकत्र की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार के इन्फार्मर्स की गोपनीयता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। विभाग के कर निर्धारण कार्यालयों एवं सचल दल इकाइयों द्वारा यदि सम्बन्धित व्यापारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है, तो उन सूचनाओं तथा कर निर्धारण के समय प्रस्तुत बैलेन्सशीट/एनुअल रिपोर्ट से व्यापारी का मार्केटिंग पैटर्न, टर्नओवर, रॉ–मैटेरियल की खपत कन्ज्यूमेबल गुड्स की खपत, वेस्ट एण्ड स्क्रैप, ईंधन एवं विद्युत बिल, आदि सूचनाओं का उपयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। सचल दल इकाइयों द्वारा अभिग्रहीत माल एवं उससे सम्बन्धित सम्व्यवहारों के आधार पर भी व्यापारियों को जॉच हेतु चिह्नित किया जा सकता है, किन्तु चिह्नीकरण के उपरान्त चिह्नित व्यापारियों के सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार सूचना एकत्र किया जाना आवश्यक है। जॉच के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि जॉच डॉक्यूमेण्ट बेस्ड है अथवा गुड्स बेस्ड। जॉच के सम्बन्ध में ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से गोपनीय सूचना ज़ोनल एडीशनल कमिश्नर अथवा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) को अनिवार्य रूप से दी जायेगी तथा जॉच हेतु आवश्यकतानुसार ज़ोनल एडीशनल कमिश्नर से अनुमति लेकर कर निर्धारण कार्य से जुड़े एवं अन्य अधिकारियों को भी जॉच टीम में सम्मिलित किया जा सकता है।

http://abcaus.in

2. उपरोक्तानुसार जॉच हेतु विधिवत् तैयारी करते हुये व्यापारी की प्रोफाइल तैयार कराते हुये सम्बन्धित वि0अनु0शा0 जॉच हेतु एकत्र की गयी उपयोगी अभिसूचना की एक रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तैयार करके ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अथवा स्वयं के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सम्बन्धित व्यापारी की जॉच का निर्णय लिया जायेगा तथा निर्णय लेने के उपरान्त जॉच की प्रकृति एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये आई0एन0एस0–1 में लिखित रूप से तलाशी व अभिग्रहण के लिये पर्याप्त अधिकारियों को अधिकृत किया जायेगा।

3. व्यापार स्थल पर जाने के ठीक पूर्व ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) जॉच हेतु टीम गठित करके टीम के कार्यों का बॅटवारा करेंगे एवं जॉच में सम्मिलित समस्त अधिकारियों को टीम लीडर के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करेंगे। वह टीम के सदस्यों को यह अवगत करायेंगे कि जॉच का उद्देश्य क्या है और जॉच की प्रक्रिया क्या होगी। सर्वेक्षण के समय किस अधिकारी की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा तथा किस अधिकारी की टीम द्वारा अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा या सर्वेक्षण लिखा जाएगा, यह पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाये। आवश्यकता पड़ने पर अन्य अधिकारियों की व्यवस्था, सुरक्षा इन्तजाम, टीमों के आवागमन हेतु आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था, कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था, सम्बन्धित थाने को सूचना, आवश्यकतानुसार टीम के सदस्यों के जलपान इत्यादि की व्यवस्था एवं जॉच की टाइमिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक टीम लीडर को सम्बन्धित स्थान का रूटमैप, सम्बन्धित बिल्डिंग का मानचित्र, निकलने के रास्ते, सीक्रेट चैम्बर तथा अण्डर ग्राउण्ड सेल की जानकारी कर लेनी चाहिये। नेचर ऑफ प्रोडयूस्ड गुड्स, वैरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मैटेरियल, प्रोसेसिंग, निर्मित/अर्द्धनिर्मित माल की पूर्ण जानकारी टीम लीडर्स को होनी चाहिये। जॉच के पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कहॉ सरकारी वाहन से जाना है और कहा प्राइवेट टैक्सी इत्यादि से जाना है। जॉच आमतौर पर सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्यास्त के पूर्व ही की जाएगी, परन्तु विशेष परिस्थितियों में सूर्यास्त के पश्चात ऑड–आवर्स में भी जॉच की जा सकती है। जॉच कार्यवाही में अधिक समय लगने की सम्भावना होने पर स्टैण्ड बाई टीम की व्यवस्था की जायेगी। जॉच स्थल पर यदि महिलाओं के होने की सम्भावना हो तो, जॉच टीम में महिला अधिकारी को अवश्य सम्मिलित किया जायेगा। जॉच के पूर्व जॉच टीम के सभी सदस्यों को पूर्णतः भरे आई0एन0एस0–1 में प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। आई0एन0एस0–1 पूर्णतया भरा होना चाहिये, खाली आई0एन0एस0–1 अवैध है। अधिकृत अधिकारी वहीं जॉच कर सकेंगे, वह जहां के लिये आई0एन0एस0–1 से अधिकृत किये गये हैं।

वि0अनु0शा0 जॉच के समय

1. जॉच कार्य के तिथि एवं समय के सम्बन्ध में प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा निर्णय लिया जायेगा। सर्वेक्षण के समय जॉच टीम द्वारा व्यापार स्थल पर उपस्थित व्यापारी अथवा व्यापारी के कर्मचारियों से शालीन व्यवहार बनाये रखना अपेक्षित है।

2. **वि0अनु0शा0 जॉच की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। वीडियोग्राफी हेतु वि0अनु0शा0 इकाई के सदस्यों द्वारा बॉडीबोर्न कैमरे का प्रयोग किया जायगा तथा इसके लिये कैमरे का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल से किया जाएगा।** जब तक बॉडीबोर्न कैमरे का क्रय नहीं किया जाता है, तब तक सामान्य वीडियो कैमरे द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाये।

3. सर्वेक्षण के समय जॉच टीम के प्रत्येक सदस्य द्वारा पूर्व में निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप स्वयं को आबंटित किये गये कार्य को यथा सम्भव अपने टीम प्रभारी से लगातार सम्पर्क करते हुये उनको प्रतिकूल तथ्यों की जानकारी कराते हुये यथासम्भव शीघ्रता से सम्पादित किया जाएगा तथा जॉच के सम्बन्ध में अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. किसी व्यापार स्थल की तलाशी एवं तलाशी के फलस्वरूप जब्ती योग्य माल अथवा किन्हीं लेखा–पुस्तकों अथवा वस्तुओं के अभिग्रहण की विस्तृत प्रक्रिया परिपत्र संख्या–1442 दिनांक 30.08.2017 में वर्णित है। जिन मामलों में माल का अभिग्रहण किया गया है, उनमें अधिनियम की धारा–67(6) एवं नियम–140 के प्राविधानों के अन्तर्गत माल के मूल्य के समतुल्य बॉण्ड एवं लागू कर(Applicable Tax), ब्याज एवं देय अर्थदण्ड के समतुल्य बैंक गारण्टी जमा करने पर माल को अनन्तिम रूप से अवमुक्त किया जा सकता है। जहॉ व्यापारी द्वारा अनन्तिम रूप से माल अवमुक्त कराये जाने की प्रार्थना की जाती है, उस स्थिति में व्यापारी से एक लिखित प्रार्थना–पत्र लिया जाना अपेक्षित होगा तथा प्रार्थना–पत्र पर विचार करते हुये जी0एस0टी0आई0एन0एस0–4 में व्यापारी से माल के मूल्य के समतुल्य बॉण्ड एवं लागू कर(Applicable Tax), ब्याज एवं देय अर्थदण्ड के समतुल्य धनराशि

http://abcaus.in

आगणित करत हुये बैंक गारण्टी जमा करने का निर्देश दिया जाएगा तथा यह बॉण्ड व बैंक गारण्टी जमा करने के उपरान्त माल अनन्तिम रूप से व्यापारी के पक्ष में अवमुक्त किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अनन्तिम रूप से अवमुक्त माल को व्यापारी को सुरक्षित रखना होगा तथा मांगे जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, किन्तु यदि व्यापारी द्वारा लागू कर(Applicable Tax), ब्याज एवं देय अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो वहां माल व्यापारी के पक्ष में अन्तिम रूप से अवमुक्त कर दिया जाएगा।

5. जहॉ व्यापारी द्वारा उक्त दोनों में से कोई विकल्प नहीं अपनाया जाता वहां यथासम्भव माल को व्यापार स्थल से उठवाकर विभाग की कस्टडी में रखा जाएगा और जहां यह सम्भव न हो वहां नियम–139(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत मालस्वामी अथवा कस्टोडियन, जिसकी कस्टडी से वह माल अभिग्रहीत किया गया था, को सुरक्षित रखने हेतु हस्तगत किया जाएगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे माल को सम्बन्धित अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वहॉ से न हटायेगा, न अलग करेगा और न ही अन्यथा व्यवहृत करेगा।

6. जहॉ माल का अभिग्रहण व्यवहारिक रूप से किया जाना सम्भव न हो, ऐसी स्थिति में उचित अधिकारी(Proper Officer) अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी माल स्वामी अथवा कस्टोडियन को इस आशय का निषेध/प्रतिषेध पत्र प्रारूप–जी0एस0टी0आई0एन0एस0–03 में तामील करायेंगे कि वह इस माल को सम्बन्धित अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न तो हटायेगा, न अलग करेगा और न ही अन्यथा व्यवहृत करेगा।

वि0अनु0शा0 जॉच के पश्चात की कार्यवाही

1. निरीक्षण तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् जहॉ किसी जॉच में प्राधिकृत अधिकारी एक से अधिक हों, वहॉ ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)/उचित अधिकारी (Proper Officer) के द्वारा लिखित रूप से कार्यवाही करने वाले अधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया जायेगा। ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा 24 घंटे के अन्दर जॉच के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त रिपोर्ट एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0), ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/कार्यपालक) तथा सम्बन्धित न्याय निर्णयन अधिकारी को दी जायेगी।

2. जहां माल से अलग अन्य अभिलेख, लेखा–पुस्तकों अथवा अन्य वस्तुओं का भी अभिग्रहण किया गया है वहां यह वस्तुयें उक्त प्रस्तर–1 में प्राधिकृत अधिकारी/अभिग्रहणकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी सेफ कस्टडी में रखी जायेंगी, किन्तु वस्तुओं की कस्टडी उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार उन वस्तुओं के स्वामी अथवा कस्टोडियन को दी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिसकी कस्टडी से कोई अभिलेख/लेखा पुस्तकें अभिग्रहीत की गई हैं, उन्हें उन अभिलेखों की प्रतियां अथवा उद्धरण लेने का प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत समय व स्थान पर अधिकार होगा, किन्तु यदि "उचित अधिकारी"(Proper Officer) का यह अभिमत है कि अभिलेखों की प्रतियां अथवा उद्धरण देने से जॉच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में अभिलेखों की प्रतियां अथवा उद्धरण प्राप्त नहीं कराये जायेंगे।

3. जॉच व अभिग्रहण की कार्यवाही के उपरान्त अभिग्रहीत अभिलेखों व माल से सम्बन्धित जॉच सम्बन्धित अभिग्रहणकर्ता इकाई द्वारा ही की जाएगी तथा इस जॉच हेतु आवश्यकता होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को अधिनियम की धारा–70 के अन्तर्गत सम्मन जारी करते हुये साक्ष्य देने अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु बुलाया जाएगा। यह सम्मन जॉच कार्यवाही के तुरन्त बाद व्यापार स्थल पर भी प्राप्त कराया जा सकता है एवं जॉच के बाद भी दिया जा सकता है।

4. अधिनियम 2017 की धारा–67 की उपधारा(2) के अन्तर्गत तलाशी के दौरान जब्ती योग्य अभिग्रहीत किसी माल के सम्बन्ध में अधिनियम 2017 की धारा–130 के अन्तर्गत नामित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत माल को जब्त करने हेतु अधिनियम 2017 की धारा–67 की उपधारा (7) में वर्णित समय सीमा के अन्तर्गत अधिनियम 2017 की धारा–130 की उपधारा(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करके कार्यवाही की जाएगी।

5. जॉचकर्ता/अभिग्रहणकर्ता इकाई द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों, गवाहों आदि को उक्त प्रक्रिया के अनुसार बुलाते हुये जॉच कार्य अधिकतम 90 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि किसी कारणवश यह जॉच 90 दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कारणों को लिखित रूप में अंकित करते हुये सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जाएगी और ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) पत्रावली का परीक्षण करके आवश्यक होने पर लिखित आदेश द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकेंगे तथा जॉच हेतु समय बढ़ाये जाने के इस आदेश की

http://abcaus.in

प्रति कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0 अनुभाग) को प्रेषित की जाएगी। जहाँ अभिग्रहीत माल के सम्बन्ध में इस बढ़ी हुई समयावधि के कारण छः माह के अन्दर नोटिस जारी किया जाना सम्भव नहीं है, वहाँ धारा–67 की उपधारा–7 के प्राविधानों के अनुसार अभिग्रहीत माल जो तब तक अवमुक्त न हुआ हो, को अवमुक्त किये जाने की समयावधि भी बढ़ाई जाएगी, किन्तु जाँच की यह समयसीमा धारा–74 की उपधारा–2 में वर्णित नोटिस जारी करने की अन्तिम तिथि यदि अभिग्रहण की तिथि से 90 दिन के पूर्व है तो लागू नहीं होगी। ऐसी स्थिति में धारा–74(2) में वर्णित समय सीमा को ध्यान में रखते हुये रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी तथा तद्नुसार नोटिस जारी की जायेगी।

6. उपरोक्तानुसार जाँच के उपरान्त जाँचकर्ता/अभिग्रहणकर्ता अधिकारी द्वारा समग्र तथ्यों के आधार पर समेकित रिपोर्ट उक्त समयावधि में तैयार करते हुये सम्बन्धित "न्याय निर्णयन अधिकारी"(Adjudicating Officer) को अभिग्रहीत अभिलेखों की छायाप्रति के साथ प्रेषित की जाएगी। रू0 01 करोड़ से अधिक टर्नओवर की धनराशि के करापवंचन के मामलों में सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर के द्वारा अनुमोदन के पश्चात रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

7. जाँचकर्ता अधिकारी/अभिग्रहणकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त "न्याय निर्णयन अधिकारी"(Adjudicating Officer) द्वारा यथा स्थिति धारा–74/ अन्य सुसंगत धाराओं में जमा न किये गये अथवा कम जमा किये गये कर एवं आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि का उल्लेख करते हुये समेकित नोटिस जारी की जाएगी तथा व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये समेकित आदेश पारित किया जायगा। "न्याय निर्णयन अधिकारी"(Adjudicating Officer) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर, लेखा–पुस्तकों अथवा अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यदि रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत स्थिति पाता है या जाँच अधिकारी के अभिमत से सहमत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वह इस मामले को ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) को सन्दर्भित करेगा और ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा मामले में विचार कर निर्णय लिया जाएगा। ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) के बीच मतभिन्नता होने की स्थिति में प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को सन्दर्भित किया जाएगा और उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम माना जायेगा। यदि किसी मामले में न्याय निर्णयन अधिकारी ज्वाइण्ट कमिश्नर(कारपोरेट)स्तर के अधिकारी हैं और उस मामले में यदि जाँच अधिकारी से कोई मत भिन्नता होती है तो प्रकरण ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) को सन्दर्भित करेंगे। ज्वाइण्ट कमिश्नर(कारपोरेट) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) के बीच मतभिन्नता होने की स्थिति में प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को सन्दर्भित किया जाएगा और उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम माना जायेगा एवं तद्नुसार "न्याय निर्णयन अधिकारी"(Adjudicating Officer) द्वारा आदेश पारित किया जायगा। उक्त कार्यवाही का अंकन किसी भी दशा में धारा–74 के अन्तर्गत पारित किये जाने वाले आदेश में नहीं होगा।

8. जाँच के फलस्वरूप यदि धारा–132 के अन्तर्गत वर्णित कोई अपराध कारित किया जाना पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन की कार्यवाही सम्बन्धित जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा "उचित अधिकारी"(Proper Officer) के माध्यम से कमिश्नर, वाणिज्य कर के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त की जाएगी तथा जिन मामलों में धारा–69 के अधीन गिरफ्तारी किया जाना अपेक्षित होगा, वहाँ भी "उचित अधिकारी" (Proper Officer) के माध्यम से कमिश्नर, वाणिज्य कर से लिखित अधिकार–पत्र प्राप्त करके जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाएगी। अभियोजन एवं गिरफ्तारी के आदेश वि0अनु0शा0 से सम्बन्धित ऑन लाइन पोर्टल (पंजी 5) विकसित होने पर कमिश्नर, वाणिज्य कर से ऑन–लाइन प्राप्त किये जा सकेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

24/5

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।